



JAIL DEPARTMENT HARYANA

HARYANA JAIL DEPARTMENT

(GROUP D)

SERVICE RULES 1998

Printed at: Central Jail, Ambala

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 सितम्बर, 1998

संख्या सांका.वि० 67/सवि०/अनु० 309/98.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा जेल विभाग (ग्रुप घ) में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I - सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा जेल विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अर्पित न हो :—

- (क) "नौधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (ख) "महानिदेशक" से अभिप्राय है महानिदेशक, कारागार विभाग, हरियाणा ;
- (ग) "जिला परीक्षा अधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले का जिला परीक्षा अधिकारी ;
- (घ) "रोजगार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालय ;
- (ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (च) "संस्था" से अभिप्राय है :—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

- (छ) "अधीक्षक कारागार" से अभिप्राय है, केन्द्रीय जेल या जिला जेल या बोस्टल संस्था और किशोर जेल एवं मुख्य जेल ट्रेनिंग स्कूल या उप जेल, जैसी भी स्थिति हो, का अधीक्षक ;
- (ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा जेल विभाग (ग्रुप व) सेवा ।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या और उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, दमर्ग, श्रीलंका या कोरिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जाम्बिया और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाँति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो अन्य नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 16 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ इन नियमों में परिशिष्ट ग के खाना 3 में यथा वर्णित अधिकारियों द्वारा की जायेंगी।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर जब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यतायें और अनुभव रखता हो।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी योग्यताओं में संस्था या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा पर ढोल दी जायेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए अर्क्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यतायें :

8. कोई भी व्यक्ति, —

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नि वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नि के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह संविदा कर ली है।

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :—

कार्यालय महानिदेशक कारागार में :

(क) दफ्तरी और जमादार की दशा में,—

- (i) सेवादार, चौकीदार या सफाई कर्मचारी में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) सेवादार चौकीदार की या सफाई कर्मचारी की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

कार्यालय अधीक्षक कारागार :

(क) लांगरी की दशा में,—

- (i) सेवादार, अर्दली, सफाई कर्मचारी, भिस्ती, चौकीदार या अस्पताल कुली में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) सेवादार, अर्दली, सफाई कर्मचारी, भिस्ती चौकीदार या अस्पताल कुली की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी :

(क) सेवादार की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियों, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिबीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा।

परन्तु,—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्त पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिबीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिबीक्षा अवधि की ओर गिनते दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिबीक्षा पर, व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिबीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं हीगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिबीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,—
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिबीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिबीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,—

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें; या
- (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु, परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु वह और एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ; और
- (ग) पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो, उनकी, नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण, राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय ;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनार गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के डा नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहाँ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. हरियाणा राज्य को लागू पंजाब राज्य (श्रेणी IV) सेवा नियम, 1943 और सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित किए गए नियमों के अधीन किया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्थाई			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	

कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा

1	दफतरी	1	—	1	4440-7440+1650 Grade pay
2	जमादार	1	—	1	4440-7440+1650 Grade pay
3	सेवादार	7	4	11	4440-7440+1300 Grade pay
4	चौकीदार	1	—	1	4440-7440+1300 Grade pay
5	सफाई कर्मचारी	1	—	1	4440-7440+1300 Grade pay

कार्यालय अधीक्षक कारागार

1	लांगरी	16	12	28	4440-7440+1400 Grade pay
2	सेवादार	4	5	9	4440-7440+1300 Grade pay
3	अर्दली	6	1	7	4440-7440+1300 Grade pay
4	सफाई कर्मचारी	255	24	279	4440-7440+1300 Grade pay
5	भिस्ती	1	.	1	4440-7440+1300 Grade pay
6	चौकीदार	.	1	1	4440-7440+1300 Grade pay
7	हस्पताल कुली	1	.	1	4440-7440+1300 Grade pay

कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी

1	सेवादार	9	3	12	4440-7440+1300 Grade pay
---	---------	---	---	----	--------------------------

2466

प्रस्तावित/संशोधित नियम

क्रमांक	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
	कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा		
1	दफ्तरी		पदोन्नति द्वारा 1. हिन्दी सहित मिडिल पास, 2. सेवादार, चौकीदार या सफाई कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव। स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति द्वारा :- 1. हिन्दी सहित मिडिल पास, 2. सेवादार, चौकीदार या सफाई कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।
2	जमादार		पदोन्नति द्वारा 1. हिन्दी सहित मिडिल पास, 2. सेवादार, चौकीदार या सफाई कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव। स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति द्वारा :- 1. हिन्दी सहित मिडिल पास, 2. सेवादार, चौकीदार या सफाई कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।
3	सेवादार	हिन्दी के साथ आठवीं पास	हिन्दी के साथ आठवीं पास
4	चौकीदार	हिन्दी के साथ आठवीं पास	हिन्दी के साथ आठवीं पास
5	सफाई कर्मचारी	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो

पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
2	3	4
अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला/उप कारागार लांगरी	- हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो - लांगरी के रूप में एक वर्ष का अनुभव	पदोन्नति द्वारा - सेवादार, अर्दली, सफाई कर्मचारी, भिस्ती, चौकीदार या हस्पताल कुली के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। - हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :- - सेवादार, अर्दली, सफाई कर्मचारी, भिस्ती, चौकीदार या हस्पताल कुली के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। - हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
सेवादार	हिन्दी के साथ आठवीं पास	हिन्दी के साथ आठवीं पास
अर्दली	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
सफाई कर्मचारी	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
भिस्ती	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
चौकीदार	हिन्दी के साथ आठवीं पास	हिन्दी के साथ आठवीं पास
हस्पताल कुली	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
कार्यालय जिला परीक्षा अधिकारी		
सेवादार	हिन्दी के साथ आठवीं पास	हिन्दी के साथ आठवीं पास

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
			कार्यालय, महानिदेशक कारागार			
		महानिदेशक	1. छोटी शास्तियां --	अपर महानिरीक्षक	महानिरीक्षक	
1	दफ्तरी		(i) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए			
2	जमादार		चेतावनी ;			
3	सेवादार		(ii) परिनिन्दा ;			
4	चौकीदार		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
5	सफाई कर्मचारी		(iv) आदेशों के उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है अथवा संसद अथवा राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			

1	2	3	4	5	6	7
		2. बड़ी शास्तियां —		महानिदेशक	सरकार	—
		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना ;				
		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति, ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं, और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्वयंगत करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;				
		(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी उद्देष्टता तथा उस ग्रेड, पद या				

1	2	3	4	5	6	7
			सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;	महानिदेशक	सरकार	अतिरिक्त
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरहंता नहीं होगी ;			
			(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरहंता होगी ।			

1	2	3	4	5	6	7
		कार्यालय, अधीक्षक, कारागार				
	अधीक्षक कारागार	1. छोटी शास्तियाँ—		अधीक्षक कारागार	महानिदेशक	—
1	लांगरो	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;				
2	सेवादार					
3	अरदली	(ii) परिनिन्दा ;				
4	सफाई कर्मचारी					
5	भिस्ती	(iii) पदोन्नति रोकना ;				
6	चौकीदार	(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम व व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की पूरी या उसके भाग की भुगतान से वसूली ;				
7	हस्पताल कुली	(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना ;				
		2. बड़ी शास्तियाँ—		अधीक्षक कारागार	महानिदेशक	सरकार
		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना ;				

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समय- मान में निम्नतर प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अति- रिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियों अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उनकी भावी वेतन वृद्धियाँ स्थगित करने पर प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सर- कारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिस से वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारणतयः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धि और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;			

1	2	3	4	5	6	7
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरहता नहीं होगी ;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरहता होगी ।			

1	2	3	4	5	6
1			कार्यालय, जिला परिवीक्षा अधिकारी		
1	सेवादार	जिला परिवीक्षा अधिकारी	1. छोटी शास्तियां —	जिला परिवीक्षा अधिकारी	महानिदेशक
			(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;		
			(ii) परिनिन्दा ;		
			(iii) पदोन्नति रोकना ;		
			(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई घन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;		
			2. बड़ी शास्तियां —		
			(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धि रोकना ;		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के		

1	2	3	4	5	6	7
			दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवधिति उनकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवधिति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवत क्रिया गया था पदोन्नति के लिये साधारणतयः तथा रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवतत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धि और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ; (ix) अतिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतयः निरर्हता होगी ;			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के सशक्त प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1 दफ्तरी		कार्यालय, महानिदेशक कारागार	महानिदेशक	सरकार
2 जमादार		(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;		
3 सेवादार				
4 चौकीदार				
5 सफाई कर्मचारी		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ;		
1 लांगरी		कार्यालय, अधीक्षक, कारागार	अधीक्षक	महानिदेशक
2 सेवादार		(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;		
3 अरदली				
4 सफाई कर्मचारी				
5 भिस्ती				
6 चौकीदार		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		
7 हस्पताल कुली				
1 सेवादार		कार्यालय, जिला परिवीक्षा अधिकारी	जिला परिवीक्षा अधिकारी	महानिदेशक
		(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;		
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		

के० जी० वर्मा,
वित्ताभ्यास एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल-विभाग ।